सेवा में,

अध्यक्ष महोदया,
नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा
अम्बेड़करनर।

महोदय,

अनुरोध करना है कि नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिसूचना संख्या 2371(1)नौ–9–1998दिनांक 23.9.1998 द्वारा राज्य सरकार ने उ0प्र0नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 130(क)में निहित प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करके उक्त अधिनियम की धारा 128 में वर्णित सम्पत्ती एंव करो का अधिरोपण तत्कालीन प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है।शासन के पत्र सं05718(1)/नौ–7–2001–49ज90 दिनांक 13 नवम्बर 2001 द्वारा करो की मदें स्पष्ट कर दी गयी है इसी परिपेक्ष्य में जिला प्रशासन के सं0 1918/एल.बी..सी दिनांक11.11. 2002 तथा पत्र सं01881/एल.बी..सी. /कर निर्धारण दिनांक 28.10.2002 तथा पत्रांक 795/स्था0नि0ली0/करारोपण/2008दिनांक8फरवरी2008तथा मासिक समीक्षा बैठको में दिये निर्देशो/कायवृत्तियो के अनुसार धारा 128 के अन्तर्गत गृहकर निर्धारण/ आरोपण के संदर्भ में तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी द्वारा नगर के सभी वाड़ो का मूल्यांकन के अधार पर भवन कर सर्वे करवाकर वार्ड़वार तथा भवन स्वामीवार रजिस्टर तैयार करवाया गया था।कमेटी के समक्ष प्रस्ताव बैठक दिनांक 19.2.2003 को रखा गया जिस पर उपस्थित सदस्यो द्वारा बहुमत के अधार पर उ0प्र0नगर पालिका अधिनियम की धारा 142,143,के कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।प्रशासन काल में तत्कालीन प्रभारी अधिकारी महोदय द्वारा विशेष प्रस्ताव दिनांक 22.12.2005 में यह प्रस्ताव किया गया कि सर्वे कराये गये वार्ड़वार भवन स्वामी को गृहकर आरोपण सम्बन्धी आपत्ति एंव सुझाव प्राप्त करने हेतु नोटिस जारी किया जाय। तदउपरान्त प्राप्त आपत्ति की सुनवाई समिति तैयार कर यथा सिद्ध करके अन्तिम रुप से भवन कर आरोपित किया जाय।उल्लेखनीय है कि ग्रहकर आरोपण का विशेष प्रस्ताव प्रशासक/प्रभारी अधिकारी, नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा,द्वारा दिनांक 22. 12.2005 को किया गया है कार्यालय अभिलेखो से ज्ञात हुआ कि वार्ड़वार भवन स्वामियो को सर्वे रजिस्टर के अनुसार आपत्ति एंव सुझाव प्राप्त करने हेतु तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर प्राप्त करायी जा चुकी है।

मा0मंत्री नगर विकास जी द्वारा दिनांक 30.5.08 को नगर निगम लखनऊ के तिलक हाल में की गयी नगरीय निकायो की समीक्षा तथा पुनः दिनांक 11.6.08 को मा0मंत्री जी नगर विकास द्वारा विकास भवन में फैजाबाद मंडल के नगरीय निकायो की समीक्षा की गयी उक्त दोनो समीक्षा में नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा में ग्रह कर न लगा होने के कारण गहरी नारजगी व्यक्त की गयी तथा आदेशित किया गया की प्रत्येक दशा में ग्रहकर का आरोपण 20 अगस्त 2008 तक करके व्यक्तिगत रुप से स्वंय मुझे सूचित किया जाय उक्त के सम्बंध में ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 7.7.08 को कर करेत्तर की बैठक में समीक्षा दौरान नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा में ग्रहकर न लगे होने के कारण गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी ।

महोदया के संज्ञान में यह लाना है कि अधिशाषी अधिकारी को ग्रहकर आरोपण न होने के कारण समीक्षा में शर्मीन्दा होना पड़ता है साथ ही नगर की छवि प्रशासन की दृष्टि में धूमिल होती है।

अतः महोदया से अनुरोध है कि ग्रहकर आरोपण के सम्बंध में प्राप्त आपत्तियो की सुनवाई यथा शीध्र कराने का कष्ट करे जिससे आगामी बोर्ड़ की बैठक में ग्रहकर आरोपण का प्रस्ताव लाया जा सके ।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा
अम्बेड़करनगर

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित ।

1–जिलाधिकारी महोदय,अम्बेड़करनगर ।
2–समस्त मा0वार्ड सदस्य एंव नामित सदस्यगण

अधिशाषी अधिकारी
नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा
अम्बेड़करनगर